ट्रांसक्रिप्ट्स

निवेशक सम्मेलन- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कार्यक्रम की तारीख- 31 मई, 2013
कार्यक्रम की अवधि- 1 घंटा 12 मिनट 12 सैकेंड

मर्यादकः- देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों को घोषित करने के लिए हम आपका निवेशक सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच के केन्द्र में हमारे बीच श्री सतनाम सिंह, पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उनकी दाईं ओर हमारे बीच श्री एम.के. गोयल, निदेशक, वाणिज्यिक, पीएफसी, उनकी दाईं ओर श्री आर. नागराजन, निदेशक, वित्त और श्री ए.के. अग्रवाल, निदेशक, परियोजना, पीएफसी और श्री सतनाम सिंह की बाईं ओर हमारे बीच श्री बी.एन.शर्मा, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, उनकी बाईं और श्री के. एम. साहनी, स्वतंत्र निदेशक एवं उनकी बाईं ओर श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार, स्वतंत्र निदेशक हमारे बीच उपस्थत हैं। अब मैं श्री सतनाम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे हमें परिणामों का विवरण दें।

सतनाम सिंहः- गुड इवनिंग और हमारे निवेशक सम्मेलन में आने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। वार्षिक परिणामों की चर्चा से पूर्व, मुझे उचित लगता है कि मैं आपसे भारतीय विद्युत क्षेत्र में होने वाले सकारात्मक विकास और उससे होने वाली बेहतर भविष्य की उचित राहत को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूं। सर्वप्रथम टैरिफ बढ़ता है। मुझे विश्वास है आप सभी जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग सभी राज्यों ने 0.37% की रेंज में टैरिफ बढ़ा दिया था और 23 राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2013- 14 में टैरिफ याचिका दायर की थी, 15 राज्यों ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे और 0.23% की रेंज में टैरिफ की संभावित वृद्धि हुई है। वित्तीय रिस्ट्रक्चरिंग योजना दूसरा सकारात्मक विकास है। तथापि भारत सरकार ने वित्तीय रिस्ट्रक्चरिंग योजना का अनुमोदन तीसरी तिमाही में किया था। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे द्वितीय रिस्ट्रक्चरिंग समझने या न समझने और साथ ही वितरण कंपनियों द्वारा बैंकों को बॉण्ड जारी करने के समय जार्च की जाने वाली ब्याज दर के संदर्भ में कई विवादों को निबटाना था। इन विवादों के निपटने में कुछ समय लगा और जिससे अंतिम तारीख 31.03.2013 से 31.07.2013 तक बढ़ा दी गई। दस राज्यों ने पहले ही योजना में सम्मिलित होने के लिए अपना सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया है और तीन राज्यों ने अपने संबंधित मंत्रीमंडल द्वारा योजना अनुमोदित करवा ली है। आशा करते हैं कि ये सभी राज्य 31.03.2013 से पहले वित्तीय रिस्ट्रक्चरिंग योजना का कार्यान्वयन करेंगे। मार्च 2013 में हमारे राज्य विद्युत मंत्री ने वितरण कंपनियों की रेटिंग घोषित की जो वितरण कंपनियों को ऋण देने में संबद्ध सभी संस्थाओं के लिए ऋण देने के

लिए आधार बनेगी। हमारा मूल्याकंन है कि यह इन वितरण कंपनियों के निष्पादन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगा। इसका अर्थ है, यदि कोई संस्था, चाहे वह पीएफसी, आरईसी या बैंक हो, वह किसी विशेष वितरण कंपनी को ऋण देना चाहती है, तो उन्हें रेटिंग एजेंसी के माध्यम से विद्युत मंत्री द्वारा उल्लिखित रेटिंग द्वारा चलना होगा।

यह सुनिश्चित है कि अब आप बड़ी ही तेजी से कार्यान्वित हो रही नवीनीकृत एपीडीआरपी योजना के बारे में जान गए है जिसका उदेश्य देशभर में 1,402 योग्य शहरों में वितरण घाटों को कम करना है। फिलहाल, 289 शहर गो- लाइव घोषित कर दिए गए हैं और ये शहर केवल प्रशासनिक उपायों (स्वतः व्यवस्था के उन्नयन के बिना) के माध्यम से घाटों को कम करने में सक्षम हुए हैं। अतः इस योजना के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ना वितरण कंपनियों को काफी बड़ी मात्रा में राजस्व देगा।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा कई अन्य कदम उठाए गए हैं, उदाहरणार्थ, माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में निवेश पर मंत्रीमंडल समिति स्थापित की गई है जिसने करीब 33,000 करोड़ रूपए की 13 परियोजनाएं फास्ट-ट्रैक आधार पर निपटाई हैं और साथ ही करीब 37 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता के साथ 12 खनन परियोजनाएं पूरी की हैं। हमारे मंत्री वहां डैशबोर्ड बैठकें ले रहे हैं जहां सप्ताह में दो बार सभी महत्तवपूर्ण मदें सूचीबद्ध हैं और मामले निर्धारित हो रहे हैं और वे सही दिशा में जा रहे हैं। एक मंत्रालयी पैनल ने हाल ही में कोयला नियंत्रक स्थापित करने के लिए सम्मति दी है और यह प्रस्ताव अगले 10 दिनों में मंत्रीमंडल को जाएगा और अंततः अदानी पावर और टाटा पावर का मुंदरा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थिति में प्रतिपूरक टैरिफ की ओर सीईआरसी का दृष्टिकोण, सही दिशा की ओर उठाया एक कदम है। आप जानते ही है कि पिछले वर्ष की नकारात्मक वृद्धि दर के बावजूद वित्तीय वर्ष 2012-13 में कोल इंडिया विद्युत संस्थाओं को कोयला आपूर्ति की करीब 10% तक वृद्धि करने में सक्षम हुआ है । किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था लेकिन यह सही दिशा की ओर एक कदम है। लगभग पिछले एक वर्ष के लिए ब्याज दरों की नर्मी पर भारतीय रिवर्ज बैंक का रवैया निस्संदेह एक अन्य सकारात्मक पहलु है।

अतः भारतीय विद्युत क्षेत्र में इन सभी सकारात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए हम महसूस करते है कि आगे बढ़ने से भूतपूर्व स्थिति और अधिक बेहतर होगी। आइए अब मैं वित्तीय वर्ष के लिए हमारे परिणामों को आपके साथ प्रस्तुत करता हूँ। निस्संदेह ही हम विस्तृत प्रस्तुतीकरण देगें परन्तु मैं अभी कुछ ही पहलुओं को दर्शा रहा हूँ। ऋण परिसंपत्तियों में मुख्यतः 23% तक बढ़ोत्तरी, मानक परिसंपत्तियां बनने वाली कुछ गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के कारण कुछ पुनरांकन और साथ ही ब्याज दरों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की दृष्टि में नर्मी के कारण 62 बीपीएस के विस्तार में बढ़ोतरी द्वारा हमारे वार्षिक लाभ में करीब 46% की बढ़ोतरी हुई है, जो

3,032 करोड़ रूपए से 4,420 करोड़ रूपए हो गई है। हमारी सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां जो वित्तीय वर्ष 2012 में 1.04% थी, वह गिरकर 0.71% हो गई हैं और चालू वित्तीय वर्ष में एनपीए में कोई इजाफा नहीं किया गया है।

तो अब आगे बढ़ते है कि व्यापार कैसा है? पहले, इन सकारात्मक विकास के कारण, अवश्य ही सकारात्मक । हमारे पास करीब 1.64 लाख रूपए की बकाया मंजूरियां हैं। हमने पिछले वर्ष दो सहायक कंपनियां खोली थीं। पीएफसी कंसल्टिंग पहले से ही परिचालन में थी, अतः हमारे पास अब पूर्ण वर्ष के लिए तीन सहायक कंपनियां 100% परिचालन में है, जिसका परिणाम व्यापार वृद्धि होगा और हमने विद्युत इक्विटी फंड स्थापित करने और सरकारी क्षेत्र बैंकों में अंशस्वमित्व के अधिग्रहण की संभावना खोजने की पहल की है। वर्तमान में, इन प्रस्तावों का निरीक्षण विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । पावर इक्विटी फंड के लिए हमने टाटा कैपिटल को सहयोगी के रूप में निर्धारित किया है। हमने भारतीय रिवर्ज बैंक से भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। अतः जहां तक पावर इक्विटी का सवाल है हम काफी विकसित स्तर पर हैं ।

आप अवश्य ही प्रस्तुतिकरण में विवरण देखेंगे परन्तु मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत तिमाही निष्पादन के बारे में बताना चाहिए। पिछली तिमाही में हमारा कर पश्चात् लाभ 58% बढ़कर 818 करोड़ रूपए से 1,294 करोड़ रूपए हो गया था। तथापि, यह कुछ प्रावधानों के लिए और अधिक होगा। आप जानते होंगे कि अंतिम बैठक में हमने चर्चा की थी कि हम मानक परिसंपत्तियों पर 0.25% के प्रावधान निर्मित करने के भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं कर रहे हैं,परन्तु चूंकि वर्तमान में वित्तीय वर्ष में हमारा लाभ काफी संतोषजनक था इसलिए हमने इसी वर्ष से इसे 0.08% की दर से स्वीकृत करने का निर्णय लिया है, जिसकी कुल राशि 133 करोड़ रूपए है, अतः यदि वह 133 करोड़ है, अर्थात् वह प्रावधान निर्मित नहीं हुआ तब वर्ष के लिए हमारा लाभ 4,553 करोड़ रूपए होगा। अतः चौथी तिमाही के लिए तुलनीय लाभ औसत से 66% अधिक था, जो प्रावधानों के समायोजन और अन्य मदों के बाद 805 करोड़ रूपए से 1335 करोड़ रूपए था। उसी प्रकार आय, निवल ब्याज आय और स्प्रैड 2012 की चौथी तिमाही की तुलना में अधिक था, मुख्यतः इसलिए मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम वर्षानुवर्ष आधार पर पुनः मूल्ययोग्य परिसंपत्तियों और पुनः मूल्ययोग्य-देयताओं की तुलना करते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक पिछले वर्ष के मुकाबले पहले समय-समय पर ब्याज दरें बढ़ाता था। अतः इसलिए, तथापि, हमारे देयताएं वर्षानुवर्ष आधार पर मिलाएं जाते हैं परन्तु समय-समय पर उनका पुनः मूल्यन किया जाता है। जबकि हमारी परिसंपत्तियां का तिमाही में एक बार, वर्ष में केवल चार बार पुनः मूल्यन होता है। अतः इसमें भी कुछ समय अंतराल था और इसलिए पिछले वर्ष से पूर्व हमारे स्प्रैड और एनआईएम में गिरावट आई है और जिसके लिए निवेशकों ने चिंता जताई

है। उस वक्त मैंने स्पष्ट किया था कि जब आरबीआई ब्याज दर की बढ़ोत्तरी में रोक लगाएगा तब हमारे स्प्रैड और एनआईएम वापस आएंगें और यह सत्य साबित हुआ, ऐसा आप वित्तीय वर्ष 2012-13 में देख सकते हैं।

जहां तक व्यापार वृद्धि का सवाल है, वर्ष के दौरान हमारी मंजूरियां 26% बढ़कर 59,429 करोड़ रूपए से 75,147 करोड़, संवितरण 213 % बढ़कर 30,818 करोड़ रूपए से 45,151 करोड़ रूपए और ऋण परिसंपत्तियां 23% बढ़कर 130,072 करोड़ रूप से 160,367 करोड़ हो गई हैं। अब, तथापि हम किसी प्रकार का निर्देशन नहीं देंगे परन्तु मैं आपसे केवल समझौता-ज्ञापन में हमारे और विद्युत मंत्रालय के बीच सहमत हुए लक्ष्यों को स्पष्ट कर रहा हूँ। 2013-14 के लिए हमारा मंजूरी लक्ष्य 59,000 करोड़, संवितरण 47,000 करोड़ रूपए और संसाधन जुटाव 44,000 करोड़ रूपए हैं। हम विद्युत क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक विकास के चलते इन लक्ष्यों को पा लेंगे, साथ ही हमारे पास 1.64 लाख की बकाया मंजूरियां हैं जो वित्तीय वर्ष 2013 के लिए संवितरण का 3.6 गुना है।

हम पीएफसी कंसल्टिंग में ताप उत्पादन के क्षेत्र में एक संयुक्त उद्यम के निर्माण के अवसर खोज रहे हैं। हमने पहले ही बोली आमंत्रित की हुई है। हमने दो कंपनियों से प्रतिक्रिया प्राप्त की है और हम जल्द ही अंतिम निर्णय लेने वाले हैं कि किस कंपनी के साथ हम उस क्षेत्र में परामर्शी व्यापार करने के लिए हाथ मिलाएंगें।

हमने पीएफसी ग्रीन एनर्जी नामक पृथक कंपनी खोली है जो सौर एवं पवन परियोजनाओं पर अपना अधिकतम ध्यान केंद्रित करेगी । सौर, क्योंकि भारत सरकार पहले ही एक राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू कर चूकी है, कुछ सौर परियोजनाएं पहले ही हो चुकी है। पवन परियोजनाएं, क्योंकि देश में आश्चर्यजनक पवन सामर्थ्य है और यदि आप पिछले दो या तीन वर्षों में पवन परियोजनाओं की टैरिफ दरों को देखेगें तो वे मूलतः बढ़े नहीं हैं और वे अब ताप स्टेशनों की टैरिफ दरों के समान हो गई हैं और अवश्य ही संघ बजट में पवन ऊर्जा के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन पुनः स्थापित हुए थे, मुझे लगता है कि जिसका टैरिफ 0.50 रूपए बिजली की प्रति यूनिट है।

हमने एक नई कंपनी पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विस चालू की है क्योंकि अधिक से अधिक परियोजनाएं कंसोर्शियिम ऋण आधार पर हो रही हैं। हम कंपनी के राजस्व के काफी अवसर देख रहे हैं। बैंक ने अंशस्वामित्व और पावर इक्विटी फंड अर्जित किया था। 31.03.2013 को हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.97% था, जो फिलहाल काफी पर्याप्त है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जहां तक पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता का सवाल है हमें उसके अनुरूप आना पड़ेगा। आरबीआई कह रहा है कि जहां तक भविष्य के संवितरणों का सवाल है, अर्थात् उसके कारण मंजूरियां जहां संवितरण होना है, हमें उस उदेश्य

के लिए अपेक्षित पूंजी की ओर करीब 50% ऋण जोखिम उठाना होगा। हम उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं परन्तु फिलहाल हमने एक रास्ता निकाला है जिसमें ऋण करारों में कुछ प्रावधानों को सृजित किया जाएगा जिसके कारण हम ऋण के असंवितरित हिस्से के कारण अतिरिक्त पूंजी नहीं रख सकेंगे।

मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान के संबंध में, उसका 0.25% होना अपेक्षित है, हमने इसे 0.08% प्रतिवर्ष से शुरू किया था और चालू वर्ष हमने 133 करोड़ रूपए सृजित किए हैं और हम यह लगभग तीन वर्षों की अवधि में पूरा कर लेगें। जहां तक संसाधन जुटाव का सवाल है, वित्तीय वर्ष 2013 में, हमने 40,407 करोड़ रूपए का जुटाव किया है और सीमांत लागत करीब 8.79% थी जो पिछले वर्ष के मुकाबले बेहद कम थी।

अंतिम विकास अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के बारे में है। हमने 16 यूएमपीपी(यों) का निर्धारण किया था और 4 यूएमपीपी(यों) का निर्णय लिया था। तीन का काफी विकास हो चुका है, तथापि विद्युत मंत्रालय जो मानक बोली दस्तावेजों के आशोधन पर कार्य कर रही है, अब वह समापन के अंतिम स्तर पर है। जब वह पूरी होगी तब हम तीन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं में एक क्रांति देखेंगे। 4 आईटीपी पहले ही सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। मंत्रालय द्वारा हमें अन्य 5 आईटीपी दी गई थीं। उन 5 आईटीपी(यों) में से 4 आईटीपी उन्नत स्तर पर हैं। हमने 4 के लिए आरएफक्यू जारी किए हैं और हम चालू वित्तीय वर्ष में पारेषण में इन 4 सलाहकार संविदाओं को पुरस्कृत करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अब हम श्री आर. चंद्रशेखरन द्वारा निर्मित विस्तृत प्रस्तुतीकरण को देख सकते हैं और उसके बाद हम सवाल-जवाब सत्र करेंगे। धन्यवाद।

आर. चंद्रशेखरनः- नमस्कार । इस सम्मेलन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जिसमें हम चौथी तिमाही और साथ ही वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान पीएफसी के निष्पादन, विशेषताओं को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। वर्ष 2012-13 पीएफसी के लिए इस अर्थ में उत्कृष्ट वर्ष रहा है कि हमने पिछले वर्ष के मुकाबले सभी वित्तीय मानदण्डों में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त की है। जैसा आप देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में 3,032 करोड़ रूप के लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में निवल लाभ 46% बढ़कर 4,420 करोड़ रूपए हो गया है । कई विशेष मदों को तय करने के पश्चात् तुलनीय पैट 50% बढ़कर 3,130 करोड़ रूपए से 4,690 करोड़ रूपए हो गया है। वित्तीय वर्ष में कुल आय 32 % बढ़कर 13,037 करोड़ रूपए से 17,273 करोड़ रूपए हो गई है और निवल ब्याज आय 43% बढ़कर 4,395 करोढ़ रूपए से 6,272 करोड़ रूपए हो गई है। सकल एनपीए घटकर 1.04% से 0.71 % हो गया है और निवल एनपीए घटकर 0.93% से 0.63% हो गया

है। वित्तीय वर्ष के दौरान हमारा ब्याज स्प्रैड 62 बीपीएस बढ़कर 2.25% से 2.87% हो गया है। आर-एपीडीआरपी रहित मंजूरियां 26% बढ़कर 59,429 करोड़ रूपए से 75,147 करोढ़ रूपए हो गई हैं। संवितरण 13% बढ़कर 39,818 करोड़ रूपए से 45,151 करोड़ रूपए हो गए हैं। ऋण परिसंपत्तियां 160,367 करोड़ रूपए से बढ़कर 130,072 करोड़ रूपए हो गई हैं जो हमारी उच्च वृद्धि का मुख्य संचालक है। निवल संपत्ति 15% बढ़कर 19,493 करोड़ रूपए से 22,351 करोड़ रूपए हो गई है।

अब, वित्तीय वर्ष 2012 की चौथी तिमाही की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013 की चौथी तिमाही के लिए परिणाम की चर्चा करते हैं। निवल लाभ 58% बढ़कर 818 करोड़ रूपए से 1,294 करोड़ रूपए हो गया है। तुलनीय पैट 66% बढ़कर 805 करोड़ रूपए से 1,335 करोड़ रूपए हो गया है। कुल आय 27% बढ़कर 3,684 करोड़ रूपए से 4,670 करोड़ रूपए हो गई है। निवल ब्याज आय 40% बढ़कर 1,229 करोड़ रूपए से 1,726 करोड़ रूपए और ब्याज स्प्रैड 66 आधार बिंदु बढ़कर 2.33% से 2.99% हो गया है। जैसा पहले बताया गया है, कई विशेष मदों को तय करने के पश्चात् तुलनीय लाभ 4,420 करोड़ रूपए से 4, 690 करोड़ रूपए हो गया है। वर्ष के दौरान मुख्य घटक 133 करोड़ रूपए की मानक परिसंपत्तियों के लिए निर्भर प्रावधान हैं और 117 करोड़ रूपए की विदेशी एक्चेंज की ट्रांसलेशन हानि है।

वित्तीय वर्ष 2013 में हमारी ब्याज आय 34% बढ़कर 12,724 करोड़ रूपए से 17,041 करोड़ रूपए हो गई है और प्रचालन लागत 12% बढ़ गई है और आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान 43% घट गए हैं जिसका मुख्य कारण एचपीए पर कई प्रावधानों का गैर-एनपीए में परिवर्तन है । हमारे तुलन-पत्र का माप 169,817 करोड़ रूपए है। हमारी देयताएं, 82% ऋण लेने और 14% शेयरधारकों की निधियां से है और परिसंपत्तियां मुख्यतः 94% की हमारी ऋण परिसंपत्तियों से बनी है। हमारे व्यापार के प्रमुख संकेतक अर्थात् मंजूरियां 59,429 करोड़ रूपए से बढ़कर 75,147 करोड़ रूपए हो गई हैं, परिसंपत्तियों पर लाभ 70 आधार बिंदु बढ़कर 11.25% से 11.94% हो गया है और ब्याज स्प्रैड 61 आधार बिंदु बढ़कर 2.25% से 2. 87% हो गए हैं और निवल ब्याज अंतर 51 आधार बिंदु बढ़कर 3.89% से 4.40% हो गया है। वर्ष के लिए औसत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ 37 आधार बिंदु बढ़कर 2.52% से 2.89% हो गया है । निवल संपत्ति 19,493 करोड़ रूपए से बढ़कर 22,351 करोड़ रूपए हो गई हैं और हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.98% पर पर्याप्त है जिसमें से टायर 1 का 16.83% और टायर 2 का 1.15% है। ईपीएस 43% बढ़कर 23.41 रूपए से 33.48 रूपए हो गया है और प्रति शेयर बुक मुल्य 15% बढ़कर 147.68 से 169.33 हो गया है।

वर्ष के लिए हमारी कुल मंजूरियां 75,147 करोड़ रूपए है जिसमें उत्पादन परियोजनाओं की 38,352 रूपए, पारेषण परियोजनाओं की 8,278 करोड़ रूपए, संवितरण की 1,350 करोड़ रूपए और अन्य की 27,167 करोड़ रूपए की मंजूरियां हैं जिसमें हमारा परीवर्ती वित्त सम्मिलित है। इन मंजूरियों में, राज्य क्षेत्र के लिए मंजूरी 30% बढ़ी है और निजी क्षेत्र के लिए मंजूरी 29% बढ़ी है। हमारे 45,151 करोड़ रूपए के कुल संवितरण में, राज्य क्षेत्र संवितरणों में 41% की वृद्धि हुई है, जो 24,601 करोड़ रूपए से 34,781 करोड़ रूपए हो गया है और संयुक्त क्षेत्र में 27% की वृद्धि हुई है जो 1,619 करोड़ रूपए से 2,062 करोड़ रूपए हो गया है । जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने पहले ही बताया है कि 163,720 करोड़ रूपए की बकाया मंजूरियां हैं, जिसमें 41% ऋणों में मंजूरियां सम्मिलित हैं जहां संवितरण पहले से ही शुरू हो चुके हैं।

हमारी कुल ऋण परिसंपत्तियां 160,453 करोड़ रूपए हैं जिसमें उत्पादन परियोजनाओं की 126,773 करोड़ रूपए, पारेषण परियोजनाओं की 11,089 करोड़ रूपए, वितरण परियोजनाओं की 6,144 करोड़ रूपए और अन्य (जिसमें परिवर्ती ऋण सम्मिलित है) की 16,447 करोड़ रूपए परिसंपत्तियां शामिल हैं। जैसाकि पहले ही बताया गया है कि एनपीए में काफी गिरावट आई है। सकल एनपीए 1.09% से गिरकर 0.71% हो गया है और निवल एनपीए 30 आधार बिंदु गिरा है और हमने मापक परिसंपत्तियों के लिए 133 करोड़ रूपए के प्रावधान निर्मित किए हैं और 121 करोड़ रूपए का एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान और साथ ही 1,400 करोड़ रूपए की खराब व संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षी है, जो हमारी परिसंपत्तियों के 1 % के लिए मध्यवर्ती का कार्य करती हैं।

हमारा कुल ऋण बकाया 139,583 करोड़ रूपए है जिसमें 106,231 करोड़ रूपए के बॉण्ड, 24,442 करोड़ रूपए का अवधि ऋण और 8,820 करोड़ रूपए का लघु अवधि ऋण सम्मिलित हैं जिसमें विदेशी मुद्रा ऋण 8,424 करोड़ रूपए है। ऋणों के अतिरिक्त, जैसा मैंने पहले दर्शाया था, हमारे संसाधन प्रोफाइल में शेयरधारक निधियां और साथ ही भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी फंड सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान, 8,151 करोड़ रूपए की तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन की 1600 मेगावाट कोयला आधारित उत्पादन परियोजना, 6,144 करोड़ रूपए का यूपी में 1320 मेगवाट ओबरा, 5,000 करोड़ रूपए की तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रब्यूशन कॉर्पोरेशन को ट्रांजिशनल ऋण, 3,749 करोड़ रूपए की कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन की 700 मेगावाट कोयला-आधारित टीपीपी, 3,542 करोड़ रूपए की एपी पावर डेंवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 800 मेगावाट टीपीएस, 2, 514 करोड़ रूपए की पश्चिमी यूपी पावर ट्रांसमिशनल

कंपनी लिमिटेड की 765 कि.वा. लाइन में परिष्कार, 2300 करोड़ रूपए का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ट्रांसिशनल ऋण, 2,200 करोड़ रूपए का विडियोकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विदेशी तेल एवं गैस का विकास और 2,000 करोड़ रूपए का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ट्रांजिशनल ऋण कुछ प्रमुख ऋण मंजूरियां हैं।

हमारा कुल इक्विटी शेयर 1,320 करोड़ रूपए है, जिसमें से शेयरधारण पैटर्न निम्नानुसार हैः- भारत के राष्ट्रपति 73.72% धारण करते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक 12.46% धारण करते हैं। भारतीय संस्थागत निवेशक और बैंक 5.81% धारण करते हैं, कॉर्पोरेट निकाय 2.45% धारण करते हैं। म्यूच्यूअल निधियां 2.70% धारण करती हैं, कार्मिक 0.08% धारण करते हैं और अन्य 0.31% धारण करते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मंजूरियों और संवितरणों के लिए भारत सरकार के साथ सहमत प्रमुख लक्ष्य क्रमशः 59,000 करोड़ रूपए और 47,000 करोड़ रूपए हैं। धन्यवाद।

सतनाम सिंहः- जी । कृपया, क्या अब हम प्रश्न ले सकते हैं?

प्रश्न- उत्तर सत्र

सहभागी-1:- पर्यावरण मंत्रालय और कोयले के आबंटन के साथ जुड़े मामलों के कारण विद्युत क्षेत्र को ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में कई जोखिम का सामना करना पड़ता है और हम यह समस्या काफी पीएसयू बैंकों के साथ पाते हैं। आपकी स्थिति में हम पाते हैं कि न केवल आपके मार्जिन, एनआईएम ही बेहतर हुए हैं बल्कि आप पीएसयू बैंकों से कई बेहतर कार्य कर रहे हैं, जबकि उनके लिए विद्युत एक क्षेत्र है और आपके लिए विद्युत ही एकमात्र क्षेत्र है, अतः दो प्रश्न उठते हैं कि पहला, आपका उत्पादक परिसंपत्तियों के साथ कैसा अनुभव है, जिसके लिए मंजूरियां दे दी गई हैं और ऋणों का वितरण होना है, क्या आप किसी प्रकार का तनाव महसूस कर रहे हैं और दूसरा, आपके और पीएसयू बैंकों के निष्पादन में यह अंतर क्यों हैं?

सतनाम सिंहः- जी, उनके निष्पादन और हमारे निष्पादन में अंतर क्यों है, इसका निर्णय हम आप पर छोडते हैं, परन्तु मैं बताना चाहता हूँ कि अप्रैल, 2011 में पिछले वर्ष के हमारे अनुभवों के आधार पर जब हमने पाया कि इन समाशोधनों को लेने में डिवेलपर द्वारा काफी समय लिया जा रहा है तो हमने संवितरण के लिए पूवशर्तों के रूप में इन दो शर्तों को प्रस्तुत करना शुरू किया है अर्थात् ईंधन आपूर्ति करार को लगाना और क्रम करार अग्रेषित करना। कुछ समय के लिए बैंकर सोचते थे कि यह रूकावट पैदा कर रही है परंतु बाद में बैंकर भी सहमत हो गए और इन सोपाधिकता को देने लगे। यह विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण लाभ में था। इसका अर्थ यह

नहीं था कि हम संवितरणों को रोकना चाहते थे, हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि ये डिवेलपर संस्थानों से धन आहरित करने से पूर्व इन समाशोधनों को लेने के संयुक्त प्रयास करेंगे और हमने अपनी सभी परियोजनाओं का विश्लेष्ण किया है और पाया है कि जहां तक कोयला मामलों का संबंध है, केवल एक या दो परियोजनाओं में ही हमें कठिनाई है, अन्य परियोजनाओं के विवाद सुलझ चुके हैं, पहला, सोपाधिकता के कारण, दूसरा हम संवितरण नहीं कर रहे हैं जब तक कि विवाद अग्रिम स्तर तक नहीं पहुंच जाता है।

सहभागी-1:- महोदय, केवल समझने के लिए । आपने चालू वर्ष में राज्य के लिए कुछ विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी है, उदाहरणस्वरूप तमिलनाडु, यूपी आदि, अतः क्या यह समझना उचित होगा कि उनका कोयला से संबंध है, इस स्तर पर पहुंचने के लिए किसी और से जुड़े हुए हैं या ये पूर्व-सोपाधिकताएं संवितरण के सामने रहेंगी ।

सतनाम सिंहः- देखिए, मैंने साफ तौर पर बताया है कि दोनों शर्तें अर्थात् ईंधन आपूर्ति करार और साथ ही विद्युत क्रय करार की शर्तें, कोई विकास न होने पर पूर्वशर्तें होंगी । ऐसा करना हमने अप्रैल, 2011 से शुरू किया है, परन्तु अब डिवेलपर हमारे पास आते है, जब से उन्होंने इन दो क्षेत्रों में वास्तविक प्रगति की है। अभी हाल ही में, शायद कल या उससे पूर्व समाचार आया था कि कोल इंडिया अब ईंधन आपूर्ति करार हस्ताक्षर करने में सहमत हो गया है, यहां तक कि जब पीपीए वहां नहीं हैं, पीपीए के कारण डिवेलपर राज्य क्षेत्र की वितरण कंपनियों की बोली प्रक्रिया पर निर्भर हैं और वे उन बोलियों के साथ सामने नहीं आ रहे हैं, तो आप देखिए, प्रश्न हैं, प्रत्येक संस्थान को जागरूक होना चाहिए कि जब धन दिया जाता है, तब क्या परियोजना का कार्यान्वयन करना संभव है या नहीं ।

सहभागी-1:- और, महोदय, एक और प्रश्न । आपने बैंक में अपने ब्याज के बारे में उल्लेख किया था और वहां सार्वजनिक विवरण था कि आप पीएसयू बैंकों में कुछ अंशस्वामित्व को अधिग्रहित करना चाह रहे हैं । क्या उस पर कुछ अंतिम रूप दिया गया ?

सतनाम सिंहः- हाँ, मैंने बड़े ही स्पष्ट रूप में कहा था कि हम इसे प्रस्तावित कर चुके हैं, हमारे बोर्ड में इसके बारे में कॉल ली जा चुकी है, परन्तु उस क्षेत्र में प्रगति करने से पूर्व हमें विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। अतः इस समय, दोनों मंत्रालय हमारे प्रस्ताव को देख रहे हैं, अतः यह कहना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा कि हमने प्रगति की है। यह हमारे बोर्ड का विचार है जो हमने उनके सामने प्रस्तुत किया है और हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे।

सहभागी-1:- धन्यवाद।

सतनाम सिंहः- परंतु मैं यह बता सकता हूँ कि हम इसे क्यों प्रस्तावित कर रहे हैं। देखिए जब हम राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं को धन देते हैं तब हमारे पास त्रिपक्षीय एस्क्रो लेखे के रूप में एक भुगतान सुरक्षा तंत्र होता है जो संबंधित विद्युत संस्था, हमारे और उनके मुख्य संचयन बैंकर के बीच हस्ताक्षरित एक करार है, परंतु यह एस्क्रो लेखा अन्य पक्षीय बैंकर के साथ रखा जाता हैं। इसी प्रकार निजी क्षेत्र को ऋण के लिए हमारे पास न्यास और प्रतिधारण लेखा है जो पुनः अन्य पक्षीय बैंकर द्वारा प्रबंधित होता है, जहां संपूर्ण धन, चाहे वह ऋणदाता से इक्विटी या ऋण हो, वह उस लेखे में एक साथ एकत्रित किए जाते हैं और उस बैंक के लिए पालन करने हेतु विशेष तौर पर आहरण द्वारा कमी लाई जाती है। परन्तु हम मानते हैं कि भुगतान सुरक्षा तंत्र की इन दोनों स्थितियों में, हम अन्य पक्षीय बैंकर पर निर्भर हैं और अतः यदि डिवेलपर और बैंकर अनदेखी करते हैं तब हमें कठिनाई हो सकती है। हम ठेका भंग कर सकते हैं, परन्तु वह हमारे भुगतान सुरक्षा तंत्र को सशक्त नहीं करता, अतः यह सुनिश्चित करने के उदेश्य से कि यदि हम बैंकों में से एक में अंशस्वामित्व प्राप्त करते हैं तो हम यह सारे लेखे उस बैंक में अंतरित कर देंगे, जहां प्रबंधन में भी हमारी भूमिका हो, बोर्ड सदस्यता या उसी प्रकार किसी में भुमिका हो, जिससे हमारा भुगतान सुरक्षा तंत्र मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसे प्राप्त करना चाह रहे हैं। जी, कृपया, कोई ओर?

सहभागी-2:- महोदय, आपने कहा था कि आरबीआई आपकी अवितरित राशि के 50% को पूंजी परिकलन के तौर पर समझने पर जोर दे रही है। अतः क्या आप हमें बता सकते हैं कि सामान्यता हमारे टायर-1 पर आने से यह क्या होगा। मेरा मतलब है, वर्तमान में टायर-1 करीब 16.83 है, अतः यदि हम अपने पूंजी परिकलन में यह 50% सम्मिलित करते हैं तब यह होगा...

सतनाम सिंहः- नहीं, नहीं। मार्च, 2013 को हमारी पूंजी पर्याप्तता 17.98% है और हमारे पास 163,720 करोड़ रूपए की बकाया मंजूरियां हैं। प्रथम वर्ष में उल्लिखित संवितरणों के लिए जोखिम भार 20% है। अगले वर्ष के लिए जोखिम भार 50% है। यदि आरबीआई हमसे उसे सख्ती से पालन करने को कहती है तो हमें 9,000-10,000 करोड़ रूपए के आदेश की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है, परन्तु यह अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता का ही प्रश्न नहीं है, अपितु प्रश्न यह है कि यह भारतीय विद्युत क्षेत्र पर इसके विवाद के प्रभाव क्या होंगे। यदि मेरे पास है, यहां तक कि यदि में उतनी अतिरिक्त पूंजी का प्रबंध करने में सफल होता

हूँ, विद्युत परियोजनाओं को ऋण की लागत मूलतः ऊपर जा रही है, ऐसे ही, टैरिफ वृद्धि और व्यावहारिकता के बारे में भी विवाद है, अतः हम निर्णय नहीं ले सकते, चाहे वह भारतीय रिजर्व बैंक हो या हम या उस मामले के लिए कोई मंत्रालय, हम ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा, इसीलिए हम लगातार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ वार्ता कर रहे हैं कि इस प्रकार का निर्णय लेना उचित नहीं है।

सहभागी-2:- बिल्कुल ठीक और महोदय हमारा बकाया रिस्ट्रक्चर ऋण जोखिम क्या होगा?
शायद पिछली तिमाही में 3% था,...का 44 मिलियन ।

सतनाम सिंहः- यह करीब 7.604 करोड़ रूपए है।
सहभागी-2:- ठीक है। अतः पिछली तिमाही में यह...

सतनाम सिंहः- लेकिन मुझे आपको रिस्ट्रक्चर की गई परिसंपत्तियों के बारे में बताना है, उनका क्या मतलब है। देखिए विशेषतः भारत में विद्युत परियोजनाएं मुख्यतः 99.9% विशेष उद्देश्य वाहन के रूप में प्रस्तुत होती हैं और वे तभी कर्ज चुकाना शुरू करेंगी जब ईकाईयां शुरू होंगी और वे राजस्व देना शुरू करेंगी। अब, चूंकि ये परियोजनाएं लघु अवधि परियोजनाएं है तो कुछ देरी हो जाती है। यह रिस्ट्रक्चरिंग केवल देरी से शुरू होने के कारण है। यह परियोजना के कर्ज चुकाने की क्षमता का बिंब नहीं है और यह निजी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए केवल करीब 7, 604 करोड़ रूपए राशि है जहां हम आरबीआई के प्रतिमानकों का पालन करते हैं।

सहभागी-2:- ठीक, धन्यवाद महोदय ।
सतनाम सिंहः- हाँ, हाँ, बिल्कुल ।
सहभागी-3:- महोदय, सर्वप्रथम आपको वृद्धि और अच्छे निष्पादन के लिए हार्दिक बधाई।
सतनाम सिंहः- धन्यवाद ।
सहभागी-3:- आप पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 25% गुणात्मकता से सम्पन्न हुए हैं और आपके ओपनिंग पॉइंट रिर्माक अच्छे वक्त के आने का संकेत हैं, परन्तु इसमें दो मामले सामने आते हैं। पहला, कोयले की उपलब्धता है। कोल इंडिया कुल राष्ट्रीय आवश्यकता को पुरा करने में सक्षम नहीं है और हम 200 मिलियन टन कोयला का आयात कर रहे हैं। यह सही नहीं है । हमारे पास सबसे बड़े रिजर्व हैं। जनसंख्या और पर्यावरण के आधार पर, हम अपने रिजर्व से और अधिक कोयला निकालने में असमर्थ हैं और जो विशेषतः विद्युत क्षेत्र को ही नहीं बल्कि सभी उद्योगों में असंतुलन पैदा कर रहा है, और हाल ही समाचार में आया था कि मुझे

लगता है कि यह पीएमओ की पहल पर था कि सड़क परियोजनाओं के लिए पर्यावरण समाशोधन छूट चुके हैं, या तो हम उसे विद्युत क्षेत्र के लिए पुनः करें या हम यह सुनिश्चित करें कि चालू परियोजनाएं आवश्यक प्रदुषण नियमों का पालन करती है, बजाय इसके कि वे इसको ठहराव देकर पालन करें और फिर पुनः चालू हों। यह बहुत ही देरी व लागत लगा रहा है, जो असहनीय है। मेरा मतलब है, सीईआरसी निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के लिए पुनः परक्रामित टैरिफ के लिए सहमत हो गई है। वे बाहर से कोयला प्राप्त करने में असमर्थ हैं, मेरा मतलब है, मुख्य ज्वलंत मुद्दा कोयले की उपलब्धता है। मुझे लगता है कि मुझे यह विचार आपको बताना चाहिए और आपका ध्यान इसपर केंद्रित करूं।

सतनाम सिंहः- ठीक, मुझे नहीं पता कि आपने पिछले वर्ष के निवेशक सम्मेलन में भाग लिया था या नहीं। अच्छा, आपने लिया था? मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। मैंने यह पत्रकारों और प्रैस के साथ भी प्रस्तुत किया था। कई लोगों के लिए मेरे वे मत बेहद अलग होंगे जो वे सुनते हैं। देखिए, कोयला और विद्युत अन्योन्याश्रित उद्योग हैं और अन्योन्याश्रित उद्योगों में यदि आप विश्वभर में देखें कि वृद्धि की क्या प्रणाली है। वृद्धि की प्रणाली दो समानांतर रेखा नहीं हैं। दो अन्योन्याश्रित उद्योगों में वृद्धि की प्रणाली एक में अधिकतम साथ ही अन्य में अधिकतम होती है और ऐसा ही भारतीय विद्युत क्षेत्र में हुआ है। क्षमता जोड़ अधिकतम तक पहुंच गया है। केवल एक ही अनुमान लगाया जाता है कि कोयला अब ऊपर है लेकिन लोग कह रहे हैं कि कोयला एक समस्या है, जैसे कि यह 25 से 50 वर्षों के लिए एक समस्या होने वाली है। नहीं। जब विश्वभर में वृद्धि की प्रणाली एक में अधिक और बाद में दूसरे में अधिक होती है तब दोनों के बीच हमेशा कुछ समय-अंतराल होगा। लेकिन यह एक वृद्धि की प्रणाली है, अतः चिंता कहां है। हां, चिंता की बात तब होती यदि भारत के पास कोयला रीजर्व न होते । आपकी सूचना के लिए, भारत के प्रमाणित कोयला रीजर्व करीब 118 बिलियन टन के है और वार्षिक कुल दर केवल 0.6 बिलियन टन है परंतु इस दिशा में सकारात्मक संकेत सामने आ रहे हैं। जहां तक एक वर्ष में विद्युत संस्थाओं को आपूर्ति का सवाल है किसी ने नहीं सोचा था कि कोल इंडिया उत्पादन में 10% की वृद्धि करने में समर्थ होगा, यह पिछले वर्ष -1% था। अतः सकारात्मकता दिखाई देती है। यह क्रमिक विकास की प्रक्रिया है और मुझे यकीन है कि हम इस परिघटना से जल्द बाहर आ जाएगें। कम से कम, हमारी सोच से पहले ही। कई व्यक्ति सोचते हैं कि इसमें दो या तीन वर्ष लगेगें, मेरे अनुसार इसमें एक वर्ष या हो सकता है एक वर्ष से कम वर्ष लगेगा, अतः मैं समझता हूँ कि सकारात्मक रहिए।

सहभागी 3 : धन्यवाद ।

सतनाम सिंह : धन्यवाद ।

सहभागी 4 : महोदय, कुछ परियोजनाओं में जहां पीएफसी ऋणदाता है, उन परियोजनाओं के पास पूर्ण पी.पी.ए. नहीं है। जब आप किसी परियोजना को ऋण देते हैं तो ऋण देने से पहले उस परियोजना का कुछ तो विश्लेषण करते होंगे। ओके, यह न्यूनतम पी.पी.ए. है जिसे एक परियोजना के पास होना चाहिए। यह एक मुद्दा है। एक अलग मुद्दा यह है कि पुनरीक्षित एसबीडी के पुनरीक्षण करने में एक साल से अधिक का समय लग रहा है।

सतनाम सिंह : पुनरीक्षण ?

सहभागी 4 : पहले मामले और दूसरे मामले की बोली के लिए मानक बोली दस्तावेज़ है। तो ऐसी परियोजनाओं के बारे में अब आपका क्या दृष्टिकोण है और पहले मामले और दूसरे मामले पुनरीक्षण एस.बी.डी. के संबंध में आपका क्या दृष्टिकोण है ?

सतनाम सिंह : अच्छा, जहाँ तक विद्युतक्रम करार से संबंधित आपका पहला सवाल है, मैंने यह स्पष्ट किया है कि अप्रैल, 2011 से हमने जहां कोई प्रगति नहीं है वहां ऐसे मामलों के लिए हमने कुछ शर्तें निर्धारित कर रखी हैं, कि जबतक एफ.एस.ए. और पी.पी.ए. होने के बावजूद यदि आपकी परियोजनाओं की कोई प्रगति नहीं है, तो आपको संवितरण नहीं होगा। समय-समय पर हम इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। परियोजनाओं की संतोषजनक प्रगति होने पर ही हम आगे संवितरण करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने पहले से ही बोली के एक हिस्से में है और बोली लगाई है और उन्हें उस बोली के हिस्से का अवार्ड मिल गया है, तो यह कहना गलत होगा हम तबतक एक रूपया भी संवितरण नहीं करेंगे कि जबतक आप सबके साथ टाईअप नहीं होते हैं। इस प्रकार, हम अपने सिद्धांतों का पालन करते हैं। जहाँ तक मानक बोली दस्तावेज से संबंधित आपका सवाल है, विद्युत मंत्रालय मानक बोली से संबंधित पहले और दूसरे मामले वाले दस्तावेज के आशेधन की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। इस संबंध में, दूसरे मामले वाले दस्तावेज के लिए कल ही अंतिम बैठक थी। आशा है, एक सप्ताह या दस दिनों के बाद उन दस्तावेजों को अनुमोदन के लिए मंत्री-समूह के पास प्रस्तुत किया जाएगा। इस दिशा में पहले ही बहुत काम हो चुका है और अगले एक-दो महीनों में दस्तावेज जारी हो जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

सहभागी 4 : महोदय, क्या आप पुनरीक्षित एस.बी.डी. मामले में प्रस्तावित डी.बी.एफ.ओ.टी. मॉडल से संतुष्ट हैं ?

सतनाम सिंह : नहीं, यह मेरी संतुष्टि का सवाल नहीं है।

सहभागी 4 : मुख्य ऋणदाता होने के नाते ?

सतनाम सिंह : नहीं, नहीं, नहीं, विद्युत मंत्रालय किसी खास संरचना के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। मैं तो केवल उन दिशा-निर्देशों को लागू करने वाला हूँ ऐसे में, मेरे संतुष्ट होने का सवाल ही कहाँ है। विद्युत मंत्रालय दिशा-निर्देश जारी करती है और हम उसे लागू करते हैं।

सहभागी 4 : महोदय, मसौदा से कुछ विक्रेता संतुष्ट नहीं थे, इसलिए, मैंने यह सवाल पूछा।

सतनाम सिंह : मंत्रालय द्वारा अपनायी जा रही संरचना के बारे में बैंकर्स से, वितरण कंपनियों और निजी विकास समूहों से बातचीत चल रही है और सभी समूहों और उनके अपने विचार जानने के बाद, उन्होंने अंतिम निर्णय लिया हैं। इसके बाद ही मैं कह पाऊँगा कि मैं संतुष्ट हूँ या नहीं। मेरा काम इन दिशा-निर्देशों को लागू करना है। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ यदि मेरी संतुष्टि आपको खुशी देती है।

सहभागी 4 : महोदय, कार्यशील पूंजी ऋण के संबंध में अंतिम सवाल, राज्यों को प्रदान किया जाने वाला अल्पावधि ट्रांजिशनल वित्त का पुनर्भुगतान कैसे किया जाता है?

सतनाम सिंह : जब भारत सरकार ने वित्तीय ऋण योजना का अनुमोदन किया था और वास्तव में, हमने इन अल्पावधि ऋण को प्रदान नहीं किया था। भारत सरकार का मानना है कि वितरण कंपनियों को कुछ सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस संदर्भ में, हमने बहुत सारे राज्यों को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पुनर्संरचना योजना के तहत इन वितरण कंपनियों को कितनी अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है। उस विचार-विमर्श के आधार पर पीएफसी और आरईसी दोनों पाँच-छह राज्यों को लगभग 19,000 करोड़ रूपए का ट्रांजिशनल ऋण जारी करने पर सहमत हुए है। ऋण देने की शर्त तीन साल तक का अधिस्थगन काल है। इसका निर्णय संबंधित उपयोगकर्ता करते हैं। कुछ अपने नकदी प्रवाह के आधार पर एक साल का अधिस्थगन काल चाहते हैं तो कुछ तीन साल का, इसीलिए हमने 3 साल तक का अधिस्थगन काल और सात साल तक पुनर्भुगतान का नियम बनाया है। यह एक दीर्घावधि ऋण है, जो हमें राजस्व प्रदान करती रहेगी और यह संबंधित राज्य सरकार की प्रत्याभूति द्वारा सुरक्षित होती है।

सहभागी 4 : आपका बहुत, बहुत धन्यवाद।

सतनाम सिंह : आपका स्वागत है। ऋण दर किसी भी राज्य की रेटिंग पर निर्भर करता है। लेकिन, यह 12.5% के आस-पास है। हाँ, कुणाल, आप कुछ पूछ रहे थे?

कुणाल : प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए धन्यवाद सर। सर मेरा पहला सवाल ट्रांजिशनल वित्त से है। वित्त वर्ष 2013 में 19,000 हजार करोड़ रूपए में से कितनी राशि का संवितरण हो चुका है। सर, वित्त वर्ष 2014 के लिए संवितरण राशि का लक्ष्य क्या है? समझौता-ज्ञापन के अनुसार लक्ष्य 47,000 करोड़ रू. है। क्या इस राशि में ट्रांजिशनल वित्त भी शामिल है ?

सतनाम सिंह : जहाँ तक वित्त वर्ष 2012-13 में संवितरण राशि का संबंध है। हमने लगभग 12,818 करोड़ रूपए का संवितरण कर दिया है और शेष राशि को संबंधित राज्य यूटिलिटी द्वारा शर्तों के अनुपालन पर संवितरण कर दिया जाएगा। लेकिन, जब हम अगले वर्ष का लक्ष्य (47,000 हजार करोड़ रूपए) तय करते हैं तो इस बात का उल्लेख नहीं करते कि यह संवितरण दीर्घावधि ऋण के लिए होगा या अल्पावधि ऋण के लिए होगा। लेकिन, हाँ शेष राशि को अगले वर्ष के संवितरण लक्ष्य में शामिल किया जाएगा।

कुणाल : ओके सर, मेरे प्रश्न का संबंध केवल 47,000 करोड़ रूपए संवितरण राशि के आशावादी लक्ष्य से है, जैसे इस वर्ष 45,151 करोड़ रूपए का संवितरण हुआ, जिसमें 12,818 करोड़ रू. की ट्रांजिशनल वित्त भी शामिल होगा। इस प्रकार, 32,333 करोड़ रू. गैर- ट्रांजिशनल वित्त है। ओके ! और अब 47,000 करोड़ रू. का लक्ष्य है। इसलिए, हम 4000-5000 करोड़ की राशि संवितरण करेंगे, क्या 32,000 करोड़ रू. की राशि संवितरण करने के बाद पुनः लक्ष्य राशि बढ़कर 42,000 करोड़ रू. हो सकती है, ताकि हम बकाया राशियों की मंजूरी दे सकें। संवितरण फैलाव को देखते हुए मेरा सुझाव है कि संवितरण राशि 42,000-43000 हजार करोड़ रू. होनी चाहिए।

सतनाम सिंह : अच्छा, जहाँ तक समझौता-ज्ञापन दस्तावेज का संबंध है, यह आंकड़ा हमारे और मंत्रालय के बीच सहमति के आधार पर तय किया गया आंकड़ा है। लेकिन, हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम इस लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि हम पाते हैं कि डेवेलपर ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अच्छा काम

किया है और वे हमसे संवितरण का दावा करते हैं तो हम लागू ट्रांजिशनल ऋण के तहत शेष संवितरण राशि के लक्ष्य को बढ़ा सकते हैं। यह भी संभव है कि कुछ यूटिलिटी ट्रांजिशनल ऋण के तहत शेष संवितरण राशि को प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं तो हम उन्हें आगे संवितरण राशि नहीं देते हैं।

कुणाल : सर, तब तो हम आर एस इंडिया के प्रावधान को वास्तव में देखें तो उसकी पुनरांकन राशि 50 करोड़ रू. है। लेकिन, इस तिमाही में उनकी मानक परिसंपत्ति को देखें तो वह 41 करोड़ रू. है अर्थात् 9 करोड़ रू. पुनरांकन राशि है। इस प्रकार, लगभग 50 करोड़ अतिरिक्त राशि है और मुझे लगता है 230 करोड़ की राशि पर 10% राशि का प्रावधान था जो कि 23 करोड़ था। इस प्रकार, आर.एस.इंडिया को अपग्रेड करने पर 50 करोड़ रू. की पुनरांकन राशि का प्रावधान है, तो इस राशि में और कौन-कौन सी राशि शामिल है ?

सतनाम सिंह : ठीक, आर एस इंडिया को दी गई कुल बकाया राशि 228 करोड़ रू. थी। हमने उस पर 10% की शर्त रखी जो कि लगभग 23 करोड़ थी और इस राशि को पुनरांकित किया जा चुका है। दूसरी, 28 करोड़ रू. की राशि ओएफसीडी खाता पर प्रदान की गई है। उस संरचना में भी वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर का प्रावधान था, जिसे पुनरांकित किया जा चुका है।

कुणाल : लेकिन, यह तो निर्धारित शर्तों का पालन नहीं है।

सतनाम सिंह : निदेशक (वित्त) इस संबंध में विस्तार से बताएंगे।

आर.नागराजन : जब हम ऋण की पुनर्संरचना करते थे तो कुछ ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता था, तब हमने उस 33 करोड़ की राशि को ओएफसीडी में बदल दिया और ओएफसीडी राशि में से कुछ राशि को पहले भुगतान करने का विकल्प दिया और उन्होंने 5 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार, 28 करोड़ रू. बकाया है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, किसी ओएफसीडी को पी एंड एल खाते में क्रेडिट करना है और उस संबंध में एक प्रावधान बनाना है, क्योंकि यह राशि नकदी में प्राप्त हुई है। इस प्रकार, जब 28 करोड़ रू. मानक परिसंपत्ति बन गई तो हमने इसे एक्रूअल एकांउटिंग सिस्टम में परिवर्तित कर दिया। जब हम इसे एक्रूअल एकाउंटिंग सिस्टम में परिवर्तित कर देते थे तब हम 28 करोड़ रू. बदल देते या जो राशि पहले प्रदान की थी या 28 करोड़ रू. को परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए 10% प्रावधान के परिवर्तन पर 22 करोड़ और

ओएफसीडी पर 28 करोड़ रू. से 50 करोड़ रू. के मुनाफे के साथ-साथ 4-5 करोड़ रू. ब्याज एक्रूअल आधार पर प्राप्त करते हैं।

कुणाल : और, सर सुजलॉन और सासन के विशेष खातों पर आपकी टिप्पणी। आज के समाचार के अनुसार सासन के ऋण की रिस्ट्रक्यिरिंग हो रही है, ऐसे में हमारी स्थिति क्या होगी और सुजलॉन के लिए अधिकांश बैंकों ने पहले ही रिस्ट्रक्यिरिंग कर ली है। तो सर, आपने जो 7000 करोड़ रू. की राशि का उल्लेख किया है क्या उसमें सुजलॉन भी शामिल है ?

सतनाम सिंह : जो मैंने 7604 करोड़ का उल्लेख किया है उसमें सुजलॉन शामिल नहीं है लेकिन सासन पावर शामिल है। इस संबंध में, मैं पहले विस्तार से बता चुका हूँ। बिजली परियोजनाओं को एस.पी.वी. के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि यूनिट शुरू हो जाती है तो एस.पी.वी. ऋण चुकाना शुरू कर देती है और यदि यूनिट शुरू करने में देरी हो, तो वित्तीय संस्थानों और बैंकों को ऋण को इस प्रकार रिस्ट्रक्यिरिंग करनी पड़ती है ताकि यूनिट ऋण चुकाने योग्य बन जाए। सासन के ऋण की इस आधार पर रिस्ट्रक्यिरिंग की गई है, क्योंकि उन्होंने एक समय-सारणी दी है और वे 36 माह के पूर्वन पर सहमत हुए हैं। यद्यपि 36 माह के पूर्वन में भी देरी हो चुकी है लेकिन, उन्होंने निर्धारित समय-सीमा से पहले ही अपनी यूनिट शुरू कर दी है। ऋण की रिस्ट्रक्यिरिंग के कारण संशोधित समय-सीमा में थोड़ी देरी हुई और 7604 करोड़ रू. में सासन शामिल है। हालाँकि, मार्च, 2013 के हमारी लेखा-पुस्तिका में सुजलॉन एन.पी.ए. नहीं था। जबकि अन्य ऋणदाताओं ने सीडीआर को अपनाया लेकिन, हम सीडीआर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने सितंबर तक मूल राशि के कुछ हिस्से का भुगतान किया था। इसलिए वे हमारी लेखा-पुस्तिका में एनपीए नहीं था। इसी सी.डी.आर. के आधार पर, उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि आप सीडीआर का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते। लेकिन, हमारी संस्थान ने सुजलॉन को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान नहीं किया है। हमारी संस्था ने उन्हें पूंजी उपस्कर विनिर्माण परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया है। हमारी संस्था ने उस ऋण को अंतिम बोर्ड बैठक में पुनर्संरचना किया है। कार्यवृत्त के अनुमोदन के बाद हम इस संबंध में विस्तार से बताएंगे। (इसलिए इस मामले में आगे बढ़ने वाली कोई बात नहीं है)

कुणाल : ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद, सर।

सहभागी 6 : नमस्कार, सर ब्याज सीमांत के अग्रसर होने पर आपका क्या विचार है ?

सतनाम सिंह : मैंने विस्तार से बताया है कि ऋण देने की हमारी व्यवस्था ऐसी है कि हम वर्ष-दर-वर्ष (प्रत्येक वर्ष) पुनर्मूल्य परिसंपत्तियों और पुनर्मूल्य देयताओं का मिलान करते हैं। जनवरी 2012 से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक हरेक बार ब्याज दर बढ़ा रही थी। ऐसे में, हम अपने देनदारों पर ब्याज दर बढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। यह, साल में चार बार और प्रत्येक तिमाही में एक बार होता है। इसलिए ब्याज स्प्रैड और सीमांत कम हुआ है। ऐसे समय में ब्याज विस्तार लगभग 20-25 आधार बिंदु कम हुआ और यह 250-260 से घटकर 225 हो गया है। अब आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाना बद कर दिया है। ब्याज-विस्तार और निवल ब्याज सीमांत वापस उसी स्थिति में आ गया है। हमारा निवल ब्याज सीमांत भी दूसरों की तुलना में अधिक है क्योंकि हमारे पास उच्च पूंजी पर्याप्तता अनुपात है, जिसे हम लोग बनाए हुए हैं जो कि हमारे ऋणदाताओं के लिए सहज स्थिति है और यह स्थिति आगे भी बनी रहेगी। यदि आरबीआई लचीली ब्याज दर नीति बनाए रखता है तो इसका हमारी संस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। हमारे पास ब्याज दर कम करने के लिए पर्याप्त सीमांत है, लेकिन कोई बैंक अपनी ब्याज दर नहीं घटा रहा है इसलिए ऐसा विशेष अवसर आ नहीं पाता है। यदि पी.एफ.सी. ब्याज दर घटाना शुरू कर दे तो लोग समझेंगे कि पी.एफ.सी. के बारे में इनकी समझ नहीं है। इसीलिए हम उस ब्याज सीमांत को बनाए हुए हैं।

सहभागी 6 : सर, यह सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि तीसरी और चौथी तिमाही से तिमाही दर तिमाही इसमें कुछ बदलाव आ रहा था।

सतनाम सिंह: ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमने चौथी तिमाही में कुछ विदेशी मुद्रा ऋण की उगाही की। विदेशी मुद्रा ऋण के मामले में हमारी लेखा नीति यह है कि जिस तिमाही में विदेशी मुद्रा ऋण की उगाही करते हैं, सभी इश्यू व्यय उसी तिमाही में बुक करते हैं। मुझे लगता है आप तीन या चार पैसा कमी की बात कर रहे हैं।

सहभागी 6 : नहीं, सर, 14 बीपीएस ठीक है, धन्यवाद सर।

सतनाम सिंह : ऐसा उस विदेशी मुद्रा ऋण की उगाही के लिए शुल्क के कारण है, जिसे एक तिमाही में परिशोधन के अलावा बुक किया जाता है।

सहभागी 6 : धन्यवाद सर,

सतनाम सिहः : आपका स्वागत है, हाँ?

सहभागी 7 : बैंक में स्टेक खरीदने के आपके जवाब पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जिसमें आपने उल्लेख किया कि डेवलपर और बैंक की संभावित क्षमता की उपेक्षा आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालती है। डेवलपर और बैंक के एक साथ हो जाने पर नकदी प्रवाह की संभावित क्षमता पर असर पड़ने का भय है। अब, एस्क्रो और डीआरसी एक ऐसा उपाय है, जो आपकी संस्था में लंबें समय से अस्तित्व में है और अच्छी तरह से काम किया है, ऐसा कोई खतरा आप देख रहे हैं, जिससे आपको भय लगता हो।

सतनाम सिंह : नहीं, नहीं, नहीं, तीसरी पार्टी बैंक हमारे एस्क्रो खाते का रख रखाव करता है । हमने आज तक किसी कठिनाई का सामना नहीं किया है। आज, हमारी परिसंपत्ति 1,60,000 करोड़ रू. की है जो अगले तीन सालों में दौगुनी 3,00,000 करोड़ हो जाएगी। उस समय किसी तीसरी पार्टी बैंक पर निर्भर रहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। उस स्थिति में, किसी बैंक में अपने खाते का प्रबंध एवं नियंत्रण करना बेहतर होगा। उस विशेष संरचना को मजबूत करने के लिए यह जरूरी कदम है। हम औपचारिक कानूनी बाध्य संविदा (समझौता) करने जा रहे हैं। हम बैंक के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी कर सकते हैं यदि बैंक हमारी पार्टी की उपेक्षा करता है और हमारा भुगतान नहीं करता है। हमारे यहां भारतीय रिजर्व बैंक है। हम इनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। यदि हम उस सरंचना को एक ऐसे बैंक में जिसमें हमारी हिस्सेदारी है, मजबूत कर सकते हैं।

सहभागी 7 : और सर, जैसाकि आपने कहा है, आपको प्रबंध नियंत्रण की आवश्यकता होगी जिसके लिए कम से कम 10% या उससे अधिक का स्टेक की जरूरत होगी, तो क्या आपने ऐसा कोई अनुमान लगाया है कि अंशस्वामित्व खरीदने के लिए आपको कितनी पूंजी देनी पड़ेगी?

सतनाम सिंह : यह सब विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा अनापत्ति के पश्चात् ही संभव है क्योंकि वह केवल एक परिकलन है। हम प्रायः सभी बैंकों के शेयरधारकों की निधियों के बारे में जानते हैं और 10% परिकलन या 26% परिकलन को विशेष समय की अपेक्षा नहीं होंगी। हम जानते हैं कि हमारे पास कितने संसाधन हैं। हम एक माह में करीब 4000 करोड़ रूपए का संवितरण करते हैं, अतः यह हमारे लिए एक बड़ा विषय नहीं हैं। प्रश्न है निर्णय को अंतिम रूप देना। मैं नहीं बता सकता कि मैंने 1000 करोड़ रू. निश्चित किए हैं जो आपको यह अनुमान दे सकता है कि क्या मैं बैंक 'क' में 10% अंशस्वामित्व या बैंक 'ख' में 26%

अंशस्वामित्व रखने वाला हूँ। नहीं। यह उचित नहीं है और यह अधिक समय नहीं लेगा। प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों के साथ है। वे हमें प्रतिक्रिया देगें।

सहभागी 7 : धन्यवाद, महोदय ।

सतनाम सिंह : थोड़ा धैर्य रखें। हम शायद आपको अगली बैठक में बताएंगें।

सहभागी 8 : आपकों बैंकिंग लाइसेंस पर क्या विचार है? क्या पीएफसी बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा?

सतनाम सिंह : वह एक अन्य विकल्प है, जिसे हमने तब तक रखा है। जबतक कि हम विद्युत मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते हैं और जब भी हम विद्युत मंत्रालय से प्रतिक्रिया प्राप्त करते है तो हम तदनुसार उस उद्देश्य के लिए अपना परामर्शदाता नियुक्त करेंगे।

सहभागी 9 : नमस्कार, महोदय।

सतनाम सिंह : जी हाँ, बताइए ।

सहभागी 9 : महोदय आपने वित्तीय पुनर्संरचना योजना को जुलाई में लागू करने का संकेत दिया था, लेकिन मीडिया रिपोर्टों से मैंने सुना है कि इसे लागू करने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान में ऋण पर 12-13% ब्याज दर मिल रही है । इसलिए हमारी चिंता यह है कि उन ऋणों के 50% अंश को सरकारी बॉण्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिस पर 8.5 से 9% का ब्याज मिलेगा जबकि इन ऋणों से 12-13% का ब्याज मिल रहा है । अतः इसमें 300 से 400 बीपीएस का अंतराल है। उस हानि की बैंक कैसे भरपाई करेगा ।

सतनाम सिंह: मुझे लगता है, इस बात को स्पष्टतौर पर समझने की जरूरत है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। वास्तव में, यह मेरा विचार और मेरी समझ है । आप बैंक से पूछ सकते हैं कि किस ऋण की पुनर्संरचना की जा रही है । अल्पावधि ऋण के रूप में वर्तमान ऋण की ब्याज दर कम या अधिक होगी, यह ब्याज दर चक्र पर निर्भर करता है । लेकिन , ये बॉण्ड अल्पावधि सरकारी प्रत्याभूति है, इसलिए यह अर्द्ध सरकारी है। इसीलिए

इसका ब्याज दर उच्च नहीं हो सकती है। अतः इसकी ब्याज दर 9% रेंज में निर्धारित की गई है। इसलिए जब बैंक एक ऋण के बदले दूसरा ऋण देता है और प्रत्याभूति संरचना का उल्लेख, करता है तो कोई यह नहीं कह सकता कि यह ब्याज की हानि है, यह उस तरीके से अलग तरीका है।

सहभागी 9 : अच्छा, मानक बोली दस्तावेज के संबंध में आपके क्या विचार हैं। आपको क्या लगता है कब तक इसका अंतिम रूप तैयार हो जाएगा।

सतनाम सिंह : मैंने इस संबंध में, आपको पहले भी बताया था। मुझे लगता है अगले एक दो महीनों में कैसे एक और केस दो दस्तावेज विद्युत मंत्रालय से अनुमोदन हो जाएगा और इसे कार्यान्वयन के लिए भेज दिया जाएगा।

सहभागी 9 : धन्यवाद , सर।

सतनाम सिंह : धन्यवाद।

सहभाग 10 : नमस्कार, सर, एक छोटा सा प्रश्न है, हम अपना बॉण्ड किसे बेचेंगे, वे - कौन सी पार्टियां हैं, जिसे हम अपना बॉण्ड बेचेगें, इस बॉण्ड का खरीददार कौन है?

सतनाम सिंह : बॉण्डों के जरिए वित्तीय वर्ष 2013 में संसाधन जुटाव के लिए मुख्य खरीददार बैंक (44%), बीमा कंपनियाँ(8%) वित्तीय संस्थाएं और गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ(NBFC) तथा (7%) म्यूचुअल फंड (31%), पेंशन फंड (2%) इत्यादि थे।

सहभागी 10 : धन्यवाद सर।

सतनाम सिंहः : हाँ, कृपया कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं?

सहभागी 11 : नमस्कार, सर सर मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न सुजलॉन से संबंधित है। सुजलॉन और सासन की संस्वीकृत और संवितरण राशि क्या हैं?

सतनाम सिंह : सुजलॉन की संस्वीकृत राशि 993 करोड़ रू. थी, लेकिन उनमें से कुछ राशि का पुनर्भुगतान करने के बाद अब लगभग 914 करोड़ रू. बकाया है।

सहभागी 11 : अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने 914 करोड़ रू. संवितरण किया?

सतनाम सिंह: नहीं, कुल संवितरण राशि 993 करोड़ रू. थी, लेकिन मार्च, 2013 तक उनमें से कुछ राशि का पुनर्भुगतान कर देने के बाद अब लगभग 914 करोड़ रूपए बकाया है। सासन के मामले में, संस्वीकृत राशि 1770 करोड़ रूपए थी और संवितरण राशि 1091 करोड़ रूपए थी।

सहभागीः 11 : अच्छा, धन्यवाद सर।

सतनाम सिंह : यह संवितरण और बकाया राशि है क्योंकि पुनर्भुगतान अभी तक शुरू नहीं हुअ है।

सहभागीः 11 : धन्यवाद ।

सहभागी 12 : सर, मैं यहां अंतिम पंक्ति में। सर, क्या आप विभिन्न मुद्राओं और हेज्ड एवं अनेहज्ड के बीच फॉरेक्स ऋण का आँकड़ा बता सकते हैं?

सतनाम सिंह : हमारे पास कुल ऋण राशि 1,39,583 करोड़ रू. है। हमारे कुल ऋण का केवल 6% विदेशी मुद्रा ऋण 84,24 करोड़ रू. है । हमने कुल विदेशी मुद्रा को हेज्ड नहीं किया है। हमारी जोखिम प्रबंधन नीति के आधार पर, हमने 85% खुला रखा है। 15 % हेज्ड है। लेकिन हमारी नेटवर्थ 22,351 करोड़ रू. है, जोकि बहुत कम है। बहुत-बहुत धन्यवाद । यदि और कोई प्रश्न न हो, तो जलपान के लिए आप सभी आमंत्रित हैं।

****